

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-07/2023-4129 व०प०, राँची, दिनांक-02/11/23

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- मेसर्स सी0सी0एल0 की आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे० (वनभूमि-103.26 हे० एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी-17.35 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/36506/2018) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-912 दिनांक-05.09.2023 एवं पत्रांक-170 दिनांक-20.02.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार 120.61 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित 120.61 हे० वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत चिन्हित 241.21 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन से वन्यप्राणी एवं उनके पर्यावास पर पड़ने वाले कुप्रभावों को mitigate करने के उद्देश्य से परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
- (5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर Soil Moisture Conservation Plan तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
- (6) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर वन विभाग से सम्पर्क कर पर्याप्त संख्या में underpass बनाया जाएगा।
- (7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्य होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-07/2023-4129 व०प०, राँची, दिनांक-02/11/23

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


24/11/2023
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-07/2023-4129 व०प०, राँची, दिनांक-02/11/23

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची / महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची-834001/परियोजना पदाधिकारी, आम्नपाली पी०ओ०-सराहु, थाना-टण्डवा, चतरा, झारखण्ड-825321 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/11/2023
विशेष कार्य पदाधिकारी।

36

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 120.61 ha for construction of Amprapali Railway Siding of M/S CCL Ltd. under Chatra South Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 120.61 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 4129 dated-...2/11/23

[Signature]
21/11/23
Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand Ranchi
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi